



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 406 ]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 4 सितम्बर 2014—भाद्र 13, शक 1936

### विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 4 सितम्बर, 2014

क्र. 4320-227-इकीस-अ(प्रा).-अधि.—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 3 सितम्बर, 2014 को राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
राजेश यादव, अपर सचिव.

### मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक १६ सन् २०१४

### मध्यप्रदेश सिविल न्यायालय (संशोधन) अधिनियम, २०१४

[दिनांक ३ सितम्बर, २०१४ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई, अनुमति “मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)” में दिनांक ४ सितम्बर, २०१४ को प्रथम बार प्रकाशित की गई।]

मध्यप्रदेश सिविल न्यायालय अधिनियम, १९५८ को और संशोधित करने हेतु अधिनियम।

भारत गणराज्य के पैंसठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश सिविल न्यायालय (संशोधन) अधिनियम, २०१४ है। संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।  
(२) यह मध्यप्रदेश राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा।

धारा ६ का संशोधन.

२. मध्यप्रदेश सिविल न्यायालय अधिनियम, १९५८ (क्रमांक १९ सन् १९५८) की धारा ६ में, उपधारा (१) में,—

- (एक) खण्ड (क) में, अंक और शब्द “२,५०,००० रुपये” के स्थान पर, अंक और शब्द “५,००,००० रुपये” स्थापित किए जाएं;
- (दो) खण्ड (ख) में, अंक और शब्द “१०,००,००० रुपये” के स्थान पर, अंक और शब्द “१,००,००,००० रुपये” स्थापित किए जाएं.

भोपाल, दिनांक 4 सितम्बर, 2014

क्र. 4321-227-इक्कीस-अ(प्रा).-अधि.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में मध्यप्रदेश सिविल न्यायालय (संशोधन) अधिनियम, 2014 (क्रमांक 16 सन् 2014) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
राजेश यादव, अपर सचिव.

MADHYA PRADESH ACT  
No. 16 of 2014

**THE MADHYA PRADESH CIVIL COURTS (AMENDMENT) ACT, 2014**

[Received the assent of the Governor on the 3rd September, 2014; assent first published in the “Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)”, dated the 4th September, 2014.]

**An Act further to amend the Madhya Pradesh Civil Courts, 1958.**

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the sixty-fifth year of the Republic of India as follows:—

**Short title and commencement.**

1. (1) This Act may be called the Madhya Pradesh Civil Courts (Amendment) Act, 2014.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the official Gazette.

**Amendment of section 6.**

2. In section 6 of the Madhya Pradesh Civil Courts Act, 1958 (No. 19 of 1958), in sub-section (1),—

- (i) in clause (a), for the word and figures “Rupees 2,50,000”, the word and figures “Rupees 5,00,000” shall be substituted;
- (ii) in clause (b), for the word and figures “Rupees 10,00,000”, the word and figures “Rupees 1,00,00,000” shall be substituted;